भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1196

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

सीएसआर के नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए दंडित कंपनियां

1196. श्री के. सुधाकरनः
श्री तनुज पुनियाः
श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः
श्री एंटो एन्टोनीः
श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः
श्री बैत्री बेहननः
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अप्रयुक्त या अनुपालन न की गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं की संख्या और उनके कुल मूल्य सहित अप्रयुक्त निधि के कारण और अनुपालन न किए जाने की प्रकृति का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत अनुपालन न करने के लिए कितनी कंपनियों को दंडित किया गया और लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है और सर्वाधिक बार दंडित की जाने वाली कंपनियों का आकार या प्रकार सहित कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी विशिष्ट क्षेत्रक या क्षेत्र ने सीएसआर अनुपालन में बार-बार कम प्रदर्शन किया है और यदि हां, तो संभावित कारणों और देखी गई प्रवृत्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान नीतिगत परिवर्तनों अथवा प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों सहित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुपालन नहीं करने की समस्या हल करने के लिए सरकार अथवा विनियामक निकायों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) क्या सरकार ने कारपोरेट शासन ढांचे का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा देश में पंजीकृत कंपनियों के बीच पारदर्शिता लाने और कारपोरेट प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) नवीनतम दिशानिर्देशों अथवा प्रस्तावित संशोधनों सहित स्वतंत्र निदेशकों, लेखापरीक्षा समितियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की भूमिका और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जारी...2/-

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए वैधानिक ढांचा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की अनुसूची VII उन क्षेत्रों या विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के रूप में किया जा सकता है। प्रत्येक सीएसआर अधिदेशित कंपनी जिसकी निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है या तत्कान पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवल लाभ है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के कार्यकलापों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय करे। सीएसआर अधिदेशित कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना अनिवार्य है। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका कार्यन्वयन करने और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। वर्तमान वैधानिक प्रावधान - सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति का निरूपण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना की पहचान और जिस क्षेत्र में परियोजना लागू की जाएगी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय का लेखापरीक्षा आदि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत राशि निर्धारित कार्यकलाप (पों) पर व्यय की गई है। यदि कोई राशि व्यय नहीं की जाती है तो ऐसी राशि निर्धारित समय सीमा में अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि (फंड) में स्थानांतरित कर दी जाएगी। सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप पर व्यय करने के लिए कॉर्पोरेट्स को कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित प्रावधान हैं कि अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, तत्काल पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर अधिदेशित प्रत्येक कंपनी को, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना होगा, और जो प्रभाव आंकलन आरम्भ करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो गई हों। कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलाप, प्रभाव आकलन आदि का विवरण 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में संलग्न किया जाना अपेक्षित है, जिसमें सीएसआर पर एक वार्षिक कार्य योजना भी शामिल है, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का भाग है।

जारी...3/-

एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकड़े www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकास क्षेत्रवार और राज्यवार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अभिलेखों की जाँच और/या दोषी कंपनियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के पश्चात, कानुनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, दंडात्मक कार्रवाई आरम्भ की जाती है। पिछले तीन वर्षों में 30 सार्वजनिक और निजी कंपनियों को दंडित किया गया और उन पर 19.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों में जवाबदेही, पारदर्शिता, स्वतंत्र लेखा परीक्षा और स्वतंत्र निदेशकों, बोर्ड की समितियों की भूमिका आदि सहित कुशल कारपोरेट प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यह निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेही का प्रावधान करता है। अधिनियम और नियमों के अनुसार, कंपनियों को अपने पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में लेखा-बही, सांविधिक विवरण और रजिस्टर आदि तैयार और अनुरक्षित करने होंगे और लागू लेखा मानकों का पालन करना होगा। जोखिम प्रबंधन, वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरण सहित बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटीकरण भी अनिवार्य किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रासंगिक जानकारी हितधारकों के साथ-साथ एमसीए21 में भी उपलब्ध हो। कंपनियों को एमसीए21 के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, पारित प्रस्ताव और सांविधिक विवरण आदि प्रस्तुत करने अपेक्षित होंगे। अधिनियम में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड के विभिन्न समितियों, जैसे लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति आदि का गठन भी शामिल है। सरकार द्वारा समय-समय पर अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

(च): कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वतंत्र निदेशकों, लेखा परीक्षा समिति और सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका और जवाबदेही का प्रावधान करते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य निदेशक मंडल और लेखा परीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी के माध्यम से सुचारु कारपोरेट प्रशासन सुनिश्चित करना है। लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, संबंधित पक्ष के लेन-देन आदि की जाँच शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 प्रत्येक कंपनी के लिए कंपनी के लेखा-बही के लेखा-परीक्षण हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता का प्रावधान करता है।

*****

अनुलग्नक- I

लोक सभा में दिनांक 28.07.2025 के लिए प्रश्न संख्या 1196 के भाग घ का संदर्भ लें

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	35.52	67.28	74.47
2.	पशु कल्याण	174.35	325.44	531.14
3.	सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाएं /	47.65	63.63	68.04
4.	कला और संस्कृति	260.39	449.21	704.04
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	274.90	584.65	423.47
6.	शिक्षा	6,719.89	10,414.93	12,134.57
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	2,441.82	2,008.04	2,429.97
8.	लैंगिक समानता	104.97	121.15	204.17
9.	स्वास्थ्य देखभाल	8,049.49	7,023.60	7,150.81
10.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	880.50	1,703.64	2,360.09
11.	गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण	1,903.78	1,282.73	1,233.93
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,847.07	2,059.41	2,408.09
13.	सुरक्षित पेयजल	192.34	252.78	327.45
14.	स्वच्छता	314.53	438.81	375.23
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	80.34	153.91	159.82
16.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	101.00	49.50	41.80
17.	अनाथालय की स्थापना	27.54	44.99	31.57
18.	स्लम क्षेत्र विकास	58.38	94.22	38.82
19.	सामाजिक-आर्थिक समानता	165.30	159.19	200.81
20.	विशेष शिक्षा	191.08	319.50	396.57
21.	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	8.57	1.48	1.91
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	311.71	542.53	692.09
23.	व्यावसायिक कौशल	1,053.80	1,206.75	1,396.55
24.	महिला सशक्तिकरण	264.94	417.26	454.22
25.	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	1,631.01	1,145.78	1,000.83
26.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	0.59	1.65	68.32
कुल		27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक- II

लोक सभा में दिनांक 28.07.2025 के लिए प्रश्न संख्या 1196 के भाग (घ) का संदर्भ लें

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार	9.71	2.53	3.03
2.	आंध्र प्रदेश	663.50	986.77	1,129.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	13.36	39.57
4.	असम	406.42	474.96	488.62
5.	बिहार	178.97	241.41	260.53
6.	चंडीगढ़	51.19	18.44	113.31
7.	छत्तीसगढ़	317.70	609.08	422.73
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	18.27	23.22	30.17
9.	दिल्ली	1,198.50	1,517.07	1,949.95
10.	गोवा	45.43	60.91	85.79
11.	गुजरात	1,613.18	2,060.02	2,707.54
12.	हरियाणा	687.13	720.38	816.95
13.	हिमाचल प्रदेश	140.27	141.40	148.59
14.	जम्मू और कश्मीर	50.68	72.19	98.54
15.	झारखंड	243.95	389.65	414.63
16.	कर्नाटक	1,849.82	2,058.73	2,254.88
17.	केरल	241.58	362.85	387.91
18.	लक्षद्वीप	0.97	0.02	0.36
19.	लेह और लद्दाख	14.84	11.72	30.41
20.	मध्य प्रदेश	427.48	668.32	600.47
21.	महाराष्ट्र	5,407.40	5,705.54	6,065.95
22.	मणिपुर	15.62	53.60	83.19
23.	मेघालय	19.63	22.94	30.94
24.	मिजोरम	6.94	11.01	4.48
25.	नागालैंड	12.46	13.57	15.41
26.	ओडिशा	752.37	994.82	1,389.39
27.	पुडुचेरी	9.31	14.29	32.68
28.	पंजाब	185.41	263.51	351.89
29.	राजस्थान	713.85	1,122.65	1,145.67
30.	सिक्किम	28.24	36.18	41.87
31.	तमिलनाडु	1,441.03	1,637.12	1,968.76
32.	तेलंगाना	688.58	1,040.61	1,054.92
33.	त्रिपुरा	15.91	19.26	9.45
34.	उत्तर प्रदेश	1,345.02	1,213.12	1,545.01
35.	उत्तराखंड	228.09	307.60	360.76
36.	पश्चिम बंगाल	571.89	782.74	862.57
37.	पैन इंडिया*	5,789.58	6,104.58	6,960.21
38.	पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि)	1,631.01	1,145.78	1,000.83
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	0.09	10.12	1.06
40.	कुल	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*** कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

*****